iProbono INDIA

POCSO मुकदमे

पीड़ित के वकीलों के लिए मार्गदर्शिका

August 2026

www.i-probono.in

contact@i-probono.com

विषय-सूची

I. उद्देश्य 3

II. विभिन्न अधिकारियों और संबंधित पक्षों की भूमिका – एक संक्षिप्त परिचय

पुलिस /SJPU की भूमिका 4

बाल कल्याण समिति (CWC) की भूमिका 5

Support Person की भूमिका 5

III. पीड़ित पक्ष के वकील की भूमिका

मुकदमे के प्रत्येक चरण में भूमिकाओं का सारांश 7

व्यावहारिक अनुभव पर आधारित सुझाव 7

IV. महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय 11

V. उपयोगी संसाधन 17

उद्देश्य

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (इस पुस्तिका में आगे इसे "POCSO Act" कहा गया है) बच्चों को लैंगिक अपराधों से सुरक्षा देने वाला एक महत्वपूर्ण कानून है। यह कानून वर्ष 2012 में लागू हुआ था। इसके बाद इसमें 2013, 2018 और 2019 में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए। इसी तरह, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, 2012 (इस पुस्तिका में आगे इन्हें "POCSO Rules" कहा गया है) की जगह 2020 में नए नियम लागू किए गए। समय के साथ कानून में हुए बदलावों और न्यायालयों के फैसलों के कारण पुलिस, बाल कल्याण समिति और पीड़ित पक्ष के वकीलों की भूमिका भी बदली है और उनकी जिम्मेदारियाँ पहले से अधिक स्पष्ट हुई हैं।

यह पुस्तिका POCSO मामलों में काम करने वाले वकीलों की सहायता के लिए तैयार की गई है। इसमें पुलिस, बाल कल्याण समिति और अन्य संबंधित सरकारी संस्थाओं की भूमिका के साथ-साथ पीड़ित पक्ष के वकील की जिम्मेदारियों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इसके अलावा, POCSO मामलों की सुनवाई के महत्वपूर्ण चरणों से जुड़े भारत के सर्वोच्च न्यायालय तथा दिल्ली, बॉम्बे, कर्नाटक और इलाहाबाद उच्च न्यायालयों के प्रमुख निर्णयों का भी उल्लेख किया गया है।

विभिन्न अधिकारियों और संबंधित पक्षों की भूमिका – एक संक्षिप्त परिचय

पुलिस /SJPU की भूमिका

बच्चे की समझ में आने वाली सरल भाषा में उसकी शिकायत दर्ज करें। [S. 19(3)] [S. 21(1)]

शिकायत स्थानीय पुलिस थाने या SJPU में दर्ज कराई जा सकती है। [S. 19(1)]

ध्यान दें: POCSO Act के तहत होने वाले किसी भी अपराध की शिकायत कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि स्वयं बच्चा भी, कर सकता है। [S. 19(1)]

शिकायतकर्ता को FIR की कॉपी निःशुल्क उपलब्ध कराएँ। [R. 4(3)(a)]

यदि किसी पीड़ित बच्चे के साथ अपराध हुआ हो, अपराध का प्रयास किया गया हो, या ऐसे अपराध की आशंका हो, तो इसकी जानकारी मिलते ही बच्चे को 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष प्रस्तुत करें। [R. 4(4)]

मामले की सूचना मिलने के 24 घंटे के भीतर पीड़ित बच्चे का चिकित्सीय परीक्षण कराएँ। [S. 27]

पीड़ित बच्चे का बयान उसकी पसंद की ऐसी जगह पर दर्ज करें, जहाँ वह सहज महसूस करे। [S. 24(1)]

बच्चे या शिकायतकर्ता को आरोपी की जमानत अर्जी पर होने वाली सुनवाई की जानकारी दें। [CrPC, S. 31]

FIR दर्ज होने के 24 घंटे के भीतर POCSO Rules के प्रपत्र 'बी' (Form B) में दी गई प्रारंभिक मूल्यांकन रिपोर्ट भरकर उसे CWC को भेजें। [R. 4(14)]

पीड़ित बच्चे को तुरंत आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएँ। [R. 6(1)]

CWC द्वारा Support Person की नियुक्ति किए जाने पर इसकी लिखित सूचना 24 घंटे के भीतर विशेष न्यायालय को दें। [R. 4(10)]

पीड़ित बच्चे, उसके माता-पिता, अभिभावक या बच्चे के किसी भरोसेमंद व्यक्ति को POCSO Act और अन्य लागू कानूनों के तहत मिलने वाले अधिकारों, सुविधाओं और सेवाओं की जानकारी दें। [R. 4(3)(e)(f)]

बच्चे की परिस्थितियों के बारे में आवश्यक जानकारी एकत्र कर उसका रिकॉर्ड तैयार करें, ताकि मुकदमे या जमानत की सुनवाई के दौरान बच्चे का प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जा सके और न्यायालय को आवश्यक सहायता मिल सके।

सुनिश्चित करें कि संबंधित अपराध की जांच करने वाला अधिकारी पहचान परेड में शामिल न हो।

सुनिश्चित करें के मजिस्ट्रेट द्वारा ही शिनाख्त परेड (TIP) आयोजित की जाये ।

बाल कल्याण समिति (CWC) की भूमिका

मामले की जानकारी मिलने के तीन दिनों के भीतर स्वयं या किसी सामाजिक कार्यकर्ता की सहायता से यह तय करना कि बच्चे के हित में उसे उसके परिवार या साझा घर से अलग कर बाल गृह (Children's Home) या आश्रय गृह (Shelter Home) में रखने की आवश्यकता है या नहीं। [R. 4(5)]

Support Person की नियुक्ति के बारे में पुलिस या SJPU को जानकारी देना। [R. 4(8)]

अगर बच्चे और/या उसके परिवार को जाँच और मुकदमे के दौरान सहायता की ज़रूरत हो, तो उनके लिए एक Support Person नियुक्त करना।
[R. 4(8)]

ध्यान दें:- Support Person कोई व्यक्ति या संस्था हो सकती है जो बच्चों के अधिकारों या बाल संरक्षण के क्षेत्र में काम करती हो। यह बच्चे की देखभाल कर रहे Children's Home या Shelter Home का कोई अधिकारी, या जिला बाल संरक्षण एकक (DCPU) में काम करने वाला कोई कर्मचारी भी हो सकता है। [R. 4(8)]

यदि ज़रूरत हो, तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को बच्चे को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराने की सिफारिश करना। [R. 7(1)]

सर्वोत्तम तरीके (Best Practices)

जहाँ ज़रूरी लगे, वहाँ किसी बाहरी संस्था से बच्चे और उसके परिवार की परिस्थितियों पर विस्तृत सामाजिक जाँच रिपोर्ट (SIR) तैयार करवाएँ।

उपयोगी सुझाव

बच्चे की ओर से मुकदमा लड़ रहे वकील POCSO Rules और किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम एवं नियमों (JJ Act and Rules) के प्रासंगिक प्रावधानों के आधार पर CWC के सामने आवेदन दे सकते हैं। इससे समिति अपनी शक्तियों का उपयोग करके यह सुनिश्चित कर सकती है कि बच्चे को POCSO Rules के साथ दिए गए Form A में उपलब्ध सभी अधिकार और सुविधाएँ मिल सकें।

Support Person की भूमिका

बच्चे के मामले में हुई कार्यवाही की स्थिति के बारे में CWC को नियमित रूप से लिखित जानकारी देना। [R. 4(12)]

बच्चे से जुड़ी सभी जानकारी को गोपनीय रखना। [R. 5(12)]

बच्चे के माता-पिता या अभिभावक को मामले की कार्यवाही, उपलब्ध सहायता, न्यायिक प्रक्रिया और मामले के संभावित परिणामों की जानकारी देना। [R. 4(9)]

सर्वोत्तम तरीके (Best Practices)

- CWC की पूर्व अनुमति लेकर बच्चे की ज़रूरतों का विस्तृत आकलन और उसके घर की स्थिति का अध्ययन करना।

- यदि support person CWC द्वारा पहले से नियुक्त किया गए हो, तो उनका CrPC S. 164 के तहत बच्चे का बयान दर्ज किए जाने के दौरान उसके साथ उपस्थित रहना।

- गवाही से पहले होने वाली बैठकों (Pre-testimony Meetings) में पीड़ित बच्चे के वकील के साथ जाकर गवाह से मिलना। Support person और बच्चे के वकील को केवल उन्हीं गवाहों के साथ गवाही से पहले बैठक करनी आवश्यक है, जो स्वयं पीड़ित हैं या पीड़ित के परिवार के सदस्य हैं।

- जाँच या मुकदमे के दौरान जब भी ज़रूरत हो, अनुवादक (Translators), विशेष शिक्षकों (Special Educators) और अन्य विशेषज्ञों की सहायता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

- CWC के निर्देश पर बच्चे का स्कूल में दाखिला कराने और उसे शिक्षा से जुड़ी सुविधाएँ उपलब्ध कराने में सहायता करना।

- बच्चे के साथ संवेदनशील गवाह कक्ष में उपस्थित रहना।

- यदि support person CWC द्वारा पहले से नियुक्त किए गए हो, तो उनका बच्चे की चिकित्सीय जाँच के दौरान उसके साथ उपस्थित रहना।

पीड़ित पक्ष के वकील की भूमिका

मुकदमे के प्रत्येक चरण में भूमिकाओं का सारांश

मुकदमे का चरण	पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका *A
जाँच (यदि आरोपपत्र/चार्जशीट दाखिल हो चुकी हो)	यदि जाँच सही तरीके से नहीं हुई है, तो आगे की जाँच कराने के लिए CrPC के S.173(8) या BNSS के S.193(9) के तहत आवेदन दायर करें।
आरोपपत्र (चार्जशीट) दाखिल होना	CrPC के S.357A या BNSS के S.396, तथा POCSO Rules के R. 9(1) के तहत अंतरिम मुआवज़े (Interim Compensation) के लिए आवेदन दायर करें। *B
संज्ञान (जाँच अधिकारी द्वारा समापन रिपोर्ट दाखिल करने पर)	यदि समापन रिपोर्ट दाखिल की जाती है, या न्यायालय मामले का संज्ञान नहीं लेता है, तो विरोध याचिका (protest petition) दायर करें।
ज़मानत (अग्रिम – यदि आरोपी को गिरफ़्तार नहीं किया जाता है)	यदि ज़रूरत हो, तो आरोपी की ओर से दायर की गई किसी भी अग्रिम ज़मानत याचिका का विरोध करें।
आरोप तय करना	आरोप तय करने के मुद्दे पर लिखित दलीलें प्रस्तुत करें और सरकारी वकील की सहायता करते हुए अपनी दलील पेश करें । **उपयोगी सुझाव -** ऐसे मामलों में जहाँ यौन शोषण से पीड़ित बच्चे की उम्र वयस्क होने के करीब हो, बचाव पक्ष मुकदमे के दौरान बच्चे की उम्र को विवाद का मुद्दा बना सकता है। इसलिए यह सुनिश्चित करना बेहतर होता है कि आरोप POCSO Act के साथ-साथ IPC/BNS के तहत भी तय किए जाएँ।
ज़मानत की अर्ज़ी *C	बच्चे के सर्वोत्तम हित और उसकी इच्छा के अनुसार, सुनवाई के दौरान उसकी ओर से न्यायालय में उपस्थित हों और यदि ज़रूरत हो, तो जमानत याचिका का विरोध करें।

*A - क्योंकि पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका कानून में स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं है और उनकी भूमिका मुख्य रूप से विशेष सरकारी वकील की सहायता करने तक सीमित है, इसलिए पीड़ित बच्चे का वकील अपने वकालतनामा के साथ CrPC के S.301(2) के तहत एक आवेदन दाखिल कर सकता है, ताकि उसे विशेष सरकारी वकील की सहायता करने की अनुमति मिल सके।

*B - FIR दर्ज होने के बाद किसी भी समय Interim Compensation के लिए आवेदन किया जा सकता है। विशेष अदालत को इसके लिए आवेदन आने का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। यदि अदालत को उचित लगे, तो वह अपने स्तर पर (Suo Moto) भी पीड़ित बच्चे को अंतरिम मुआवज़ा देने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है।

*C - मुकदमे की कार्यवाही के किसी भी चरण में आरोपी ज़मानत के लिए आवेदन कर सकता है। इसलिए, पीड़ित बच्चे से स्पष्ट रूप से पूछें कि वह ज़मानत का विरोध करना चाहता/चाहती है या नहीं, और उसी के अनुसार अदालत में अपना पक्ष रखें। यदि अदालत आरोपी को ज़मानत दे देती है, तो उचित आधार होने पर उस ज़मानत को रद्द करवाने के लिए ऊपरी अदालत आवेदन दायर किया जा सकता है।

मुकदमे का चरण	पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका
दस्तावेज़ों/ गवाहों को स्वीकार या अस्वीकार करना ***D**	आरोपपत्र (चार्जशीट) में शामिल दस्तावेज़ों की सत्यता को स्वीकार या अस्वीकार करने की प्रक्रिया में विशेष सरकारी वकील की सहायता करें।

अभियोजन पक्ष के साक्ष्य
• **गवाही से पहले की तैयारी**
• **बच्चे की गवाही के दौरान पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका**
	गवाही से पहले की तैयारी
	• बच्चे/गवाह (या ज़रूरत पड़ने पर किसी अन्य गवाह) की गवाही से पहले, Support Person के साथ मिलकर उसकी तैयारी के लिए बैठक करें।
	• बच्चे को सरल भाषा में समझाएँ कि उसकी गवाही किस तरह दर्ज की जाएगी। उसे अदालत की व्यवस्था, न्यायाधीश, सरकारी वकील, बचाव पक्ष के वकील और अन्य लोगों की भूमिका के बारे में भी जानकारी दें। बच्चे को यह भी बताएँ कि यदि वह चाहे, तो वह Support Person से अनुरोध कर सकता है कि वह उसके साथ संवेदनशील गवाह कक्ष में मौजूद रहे।
	• प्रशासनिक जिम्मेदारी: पहले से यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को गवाही देने के लिए अदालत में उपस्थित होने का Summon मिल चुका है।
	बच्चे की गवाही के दौरान पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका
	• जब बच्चे की गवाही दर्ज की जा रही हो, उस समय न्यायालय में उपस्थित रहें।
	• यह सुनिश्चित करें कि बच्चे के अनुकूल सभी न्यायालयी प्रक्रियाओं का पालन किया जाए, जिनमें शामिल हैं:
	  ◦ सुनवाई से पहले बच्चे को संवेदनशील गवाह कक्ष में ठहराया जाए।
	  ◦ कार्यवाही बंद कमरे (In Camera) में की जाए।
	  ◦ ज़रूरत पड़ने पर, बच्चों की गवाही के दौरान उनकी मदद के लिए Interpreter और Special Educator जैसे विशेषज्ञ उपलब्ध हो।
	उपयोगी सुझाव - बच्चे की ओर से मुकदमा लड़ रहे वकील की यह जिम्मेदारी है कि POCSO Act और उससे संबंधित दिशानिर्देशों में निर्धारित सभी बाल-अनुकूल प्रक्रियाओं का पालन हो। यदि इन प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया जा रहा हो, तो वकील न्यायालय के समक्ष आपत्ति उठा सकता है। हर न्यायालय इन प्रक्रियाओं का पालन कराने में समान रूप से सक्रिय नहीं होता, इसलिए कई मामलों में इनके पालन को सुनिश्चित करने के लिए पीड़ित बच्चे के वकील को पहल करनी पड़ सकती है।
	• जब बच्चे की गवाही दर्ज की जा रही हो, तब यह सुनिश्चित करें कि उससे आक्रामक तरीके से, बार-बार दोहराया जाने वाला या उत्तर सुझाने वाले प्रश्न न पूछे जाएँ।
	• यह सुनिश्चित करें कि बच्चे को ज़रूरत पड़ने पर बीच-बीच में आराम के लिए विराम (Break) दिया जाए और उससे ऐसे प्रश्न पूछे जाएँ जिन्हें वह आसानी से समझ सके।

*D - मुकदमे की कार्यवाही के किसी भी चरण में दस्तावेज़ों को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

मुकदमे का चरण	पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका
	• पीड़ित बच्चे से सवाल पूछने में विशेष सरकारी वकील की मदद करें, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि आरोपी व्यक्ति (या व्यक्तियों) पर लगे सभी आरोपों को शामिल कर लिया गया है। • यदि गवाही के दौरान ऐसा कोई साक्ष्य सामने आए जो तय किए गए आरोपों में शामिल नहीं है, तो CrPC के S.216 के तहत आरोपों में बदलाव या संशोधन करने के लिए आवेदन दायर करें। ***E*** • प्रशासनिक जिम्मेदारी: यह सुनिश्चित करें कि अदालत में उपस्थित होने पर बच्चे और अन्य गवाहों को डाइट मनी (Diet Allowance) तथा यात्रा खर्च (Travel Expenses) उपलब्ध कराया जाए।
अभियोजन पक्ष के साक्ष्य (औपचारिक गवाह) (prosecution evidence)	विशेष सरकारी वकील के साथ उपस्थित रहें और यह सुनिश्चित करें कि प्रत्येक गवाह की गवाही सही तरीके से दर्ज की जाए।
गवाह को दोबारा बुलाना *F	बाल पीड़ितों के मामले में बच्चे को दोबारा गवाही के लिए बुलाने का विरोध करें, जब तक कि ऐसा करना बिल्कुल आवश्यक न हो। यदि बच्चे या किसी अन्य सरकारी गवाह को न्यायालय के सामने किसी बात को स्पष्ट करने के लिए दोबारा बुलाने का आवेदन दायर किया गया हो, तो बच्चे/गवाह से मिलकर या उससे बात करके उसे दोबारा बुलाए जाने का कारण समझाएँ। *Pro Tip - CrPC* के *S.311* के तहत गवाह को दोबारा बुलाने का आवेदन कभी-कभी आरोपी मुकदमे में देरी करने के उद्देश्य से भी दायर कर सकता है। इस विषय पर उच्चतम न्यायालय के कई फैसलों में स्पष्ट किया गया है कि न्यायालय की इस शक्ति का प्रयोग सोच-समझकर किया जाना चाहिए। *State of Haryana v. Ram Mehar* मामले में उच्चतम न्यायालय ने *"Doctrine of Balance"* को अपनाते हुए कहा कि आरोपी और पीड़ित - दोनों के हितों में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। निष्पक्ष सुनवाई *(Fair Trial)* के अधिकार का इतना व्यापक अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि केवल उदारता के आधार पर गवाहों को बार-बार दोबारा बुलाने की अनुमति दे दी जाए।
आरोपी का बयान	बच्चे की ओर से न्यायालय में उपस्थित रहें और यह सुनिश्चित करें कि आरोपी का बयान सही तरीके से दर्ज किया जाए।
आरोपी पक्ष के साक्ष्य	आरोपी पक्ष द्वारा पेश किए गए किसी भी गवाह से Cross-Examination करने में विशेष सरकारी वकील की सहायता करें।

**E*- अंतिम बहस शुरू होने से पहले, मुकदमे की कार्यवाही के किसी भी चरण में आरोपों में बदलाव या संशोधन करने के लिए अदालत में आवेदन दायर किया जा सकता है।
**F* - पीड़ित बच्चे या किसी गवाह को दोबारा गवाही के लिए बुलाने का आवेदन देना अनिवार्य नहीं है। ऐसा आवेदन तभी किया जाना चाहिए, जब अदालत को किसी तथ्य पर स्पष्टीकरण या अतिरिक्त जानकारी की आवश्यकता हो।

मुकदमे का चरण	पीड़ित बच्चे के वकील की भूमिका
अंतिम दलीलें	अभियोजन पक्ष के सभी साक्ष्यों का सार प्रस्तुत करने और आरोपी द्वारा दिए गए साक्ष्यों या तर्कों का जवाब देने में विशेष सरकारी वकील की सहायता करें। साथ ही, न्यायालय की सहायता के लिए लिखित दलीलें भी प्रस्तुत करें।
सज़ा तय करने पर बहस	सरकारी वकील की सज़ा तय करने संबंधी बहस में सहायता करें। साथ ही, CrPC के S.357/357-A, POCSO Act के S.33(8) तथा POCSO Rules, R.9 के तहत पीड़ित बच्चे को अंतिम मुआवज़ा (Final Compensation) दिलाने के लिए अदालत में आवेदन प्रस्तुत करें। *G
अपील	ऐसे आदेश के खिलाफ अपील करें, यदि अदालत ने— • आरोपी को बरी (दोषमुक्त) कर दिया हो; • आरोपी को कम गंभीर अपराध का दोषी ठहराया हो; या • पीड़ित बच्चे को पर्याप्त मुआवज़ा न दिया हो।

*G - अंतिम मुआवज़े के लिए आवेदन देना अनिवार्य नहीं है। यदि विशेष अदालत को उचित लगे, तो वह पीड़ित बच्चे की ओर से कोई औपचारिक आवेदन दाखिल किए बिना भी Suo Moto अंतिम मुआवज़ा देने का आदेश दे सकती है।

[1] For a summarised compilation of such studies, see - https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/document.pdf
[2] (2016) 8 SCC 762

महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय

क्र. सं.	औचित्य	विधिक सिद्धांत	मामले का नाम (Citation)	प्रासंगिक अनुच्छेद
1	मुकदमे में पीड़ित के शामिल होने का अधिकार	अपराध होने के बाद शुरू होने वाली आपराधिक कार्यवाही के हर चरण में पीड़ित को अपनी बात रखने और सुने जाने का कानूनी अधिकार है।	Jagjeet Singh v. Ashish Mishra (2022) SCC OnLine SC 453	Paras 15-24
		पीड़ित द्वारा उठाई गई बातों या आपत्तियों पर ध्यान न देना, आपराधिक कार्यवाही में भाग लेने के उसके कानूनी अधिकार की अनदेखी करना है।	X v. State of Maharashtra, 2023 SCC OnLine SC 279	Paras 35-36
		कार्यवाही में भाग लेने के अधिकार का अर्थ है कि पीड़ित को अपनी बात रखने और सुने जाने का अधिकार है। पीड़ित का वकील सरकारी वकील द्वारा रखी गई दलीलों का समर्थन कर सकता है और उन्हें आगे स्पष्ट कर सकता है, लेकिन वह सरकारी वकील की दलीलों का विरोध नहीं कर सकता या यह नहीं कह सकता कि सरकारी वकील ने गलत दलील दी है।	Sachin Kumar Aggarwal v. State (NCT of Delhi), 2024 SCC OnLine Del 8005	Para 14
2	मुआवज़ा	पीड़ित मुआवज़े से संबंधित दिशानिर्देश	Nipun Saxena v. Union of India (2019) 2 SCC 703	Annexure 1, para 9
		मुआवज़े के संबंध में विशेष अदालतों और DSLSA/DLSA की भूमिका	X v. State of NCT of Delhi (acting through its secretary) and Anr. 2022 SCC OnLine Del 3496	Para 41-43, 48, 54, 56-62, 82-87, 92-94, 110-114
		अंतरिम मुआवज़े के लिए दूसरा आवेदन	Mother Minor Victim No.1 & 2 v. State & Ors2020 SCC OnLine Del 2388	Para 11, 20, 21. 25, 26
		मुआवज़े की राशि निर्धारित करने और उसकी सिफारिश करने का अधिकार DLSA को नहीं सौंपा जा सकता।	Saif Ali v. State (Nct of Delhi), 2025 SCC OnLine Del 291	Para 53-54
		यौन अपराध के परिणामस्वरूप जन्मे बच्चे के लिए मुआवज़ा	Ramesh Tukaram Varekar v. State of Maharashtra 2022 SCC OnLine Bom 373	Para 63, 66, 67

क्र. सं.	औचित्य	विधिक सिद्धांत	मामले का नाम (Citation)	प्रासंगिक अनुच्छेद
2	मुआवज़ा	गुरुतर प्रवेशन लैंगिक हमला (Aggravated Penetrative Sexual Assault) के मामलों में पीड़ित मुआवज़ा योजना के अंतर्गत "अप्राकृतिक यौन हमला" श्रेणी के तहत मुआवज़ा दिया जा सकता है।	X6 v. State, 2024 SCC OnLine Del 6484	Para 12
3	पीड़ित बच्चे की गवाही दर्ज करते समय बरती जाने वाली सावधानियाँ	"संवेदनशील गवाहों" की परिभाषा केवल बाल गवाहों तक सीमित नहीं है , बल्कि इसमें यौन हमले के सभी आयु वर्ग के पीड़ित भी शामिल होंगे।	Smruti Taukaram Badade v. State of Maharashtra 2019 SCC OnLine SC 78	Para 5
			State of Maharashtra v. Bandu. (2018) 11 SCC 163	Paras 10-12
		POCSO पीड़ितों के बयान दर्ज करना	Court on its Own Motion v. State 2018 SCC OnLine Del 10301	Para 6-10, 12, 15, 16, 18-20, 77-82, 88-90
		बाल गवाह/पीड़ित बच्चे का बयान दर्ज करने संबंधी दिशानिर्देश	State v. Sujeet Kumar 2014 SCC OnLine Del 1952	Para 45, 46, 48, 49, 50-52
			Atul Gorakhnath Ambale v. State of Maharashtra 2022 SCC OnLine Bom 873	Para 11-15
			Hanumantha Mogaveera v. State of Karnataka, Criminal Petition 2021 SCC OnLine Kar 12300	Para 21-27, 41-44, 49, 50, 56-61
		बच्चे को बार-बार अदालत में नहीं बुलाया जाएगा। अदालत को यह प्रयास करना चाहिए कि बच्चे की मुख्य परीक्षण और जिरह (Chief & Cross Examination) अनावश्यक स्थगन के बिना पूरी की जाए। उचित मामलों में, पीड़ित बच्चे की गवाही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी दर्ज की जा सकती है।	Child K. v. State (NCT of Delhi), 2026 SCC OnLine Del 1137	Para 23-26, 38-39

क्र. सं.	औचित्य	विधिक सिद्धांत	मामले का नाम (Citation)	प्रासंगिक अनुच्छेद
4	पीड़ित बच्चे का आयु निर्धारण		State of M.P. v. Anoop Singh, (2015) 7 SCC 773	Paras 14-17
			State v. Tejveer @ Guddu & Ors. Crl. Rev. P. 628/2018 (DHC)	Para 9-12
		ज़मानत के चरण में, अदालत को रिकॉर्ड पर उपलब्ध आयु संबंधी दस्तावेज़ों पर ही भरोसा करना चाहिए और पीड़ित की आयु निर्धारित करने के लिए चिकित्सीय जाँच (Medical Examination) का आदेश नहीं दे सकती।	State of U.P. v. Anurudh, 2026 SCC OnLine SC 40	Para 18
5	ज़मानत	ज़मानत की हर सुनवाई में पीड़ित की उपस्थिति अनिवार्य नहीं की जा सकती। "यदि पीड़ित अपने वकील/माता-पिता/ अभिभावक/ Support Person की उपस्थिति के लिए लिखित रूप से अनुमति देती है, तो उसकी स्वयं की उपस्थिति पर ज़ोर नहीं दिया जा सकता।"	Babu Lal v. State, CRL. A 198/2020 (DHC)	Para 2, 3
		यदि पीड़ित बच्चे की ज़मानत का विरोध करने संबंधी आपत्तियाँ पहले ही दर्ज कर ली गई हैं, तो उसे ज़मानत की सुनवाई के लिए बार-बार अदालत में नहीं बुलाया जाना चाहिए।	Child K. v. State (NCT of Delhi), 2026 SCC OnLine Del 1137	Para 46
		ज़मानत देने से पहले सूचनाकर्ता को नोटिस	Reena Jha & Anr v. Union of India & Ors [Delhi High Court, Division Bench] W.P.(C) 5011/2017 Miss G (Minor) through her Mother. v. State of NCT of Delhi and Ors 2020 SCC OnLine Del 629 Cri Misc. Appl. No. 1474/2020 Arjun Kishanrao Malge v. State of Maharashtra and Ors. 2021 SCC OnLine Bom 551 Bibi Ayesha Khanum v. Union Of India W.P. 2318/2022 (KHC)	Para 4-6 Para 23, 24 Para 14, 15, 17, 20 Para 16, 17

क्र. सं.	औचित्य	विधिक सिद्धांत	मामले का नाम (Citation)	प्रासंगिक अनुच्छेद
		ज़मानत प्रदान करने के आधार	Dharmendar Singh v. State (Govt of NCT of Delhi) GNCTD 2020 SCC OnLine Del 1267	Para 51-54, 64-79
6	गवाहों को दोबारा बुलाने संबंधी दिशानिर्देश	अभियोजन पक्ष के साक्ष्य (विविध)	State of Haryana v. Ram Mehar (2016) 8 SCC 762	Paras 39, 42
7	त्रुटिपूर्ण जाँच का प्रभाव	केवल जाँच में त्रुटि होना, अपने आप में आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकता	C. Muniappan v. State of Tamil Nadu, (2010) 9 SCC 567	Para 55
8	साक्ष्यों का मूल्यांकन	छोटी-मोटी कमियाँ या अंतर, आरोपी को बरी करने का आधार नहीं हो सकते।	Subodh Nath v. State of Tripura, (2013) 4 SCC 122	Para 16
9	केवल पीड़ित की गवाही के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है।	दोषसिद्धि के आधार	Phool Singh v. State of MP, (2022) 2 SCC 74	Paras 7-17
			Ganesan v. State, (2020) 10 SCC 573	Paras 10-12
			State of Himachal Pradesh v. Manga Singh, (2019) 16 SCC 759	Paras 10-11
			State of Himachal Pradesh v. Sanjay Kumar alias Sunny (2017) 2 SCC 51	Paras 18, 31
			State of Rajasthan v. N.K. (2000) 5 SCC 30	Para 11, 19
			Vijay alias Chinee v. State of Madhya Pradesh (2010) 8 SCC 191	Paras 9-15
			Nirmal Premkumar v. State of T.N., (2024) 20 SCC 293	Para 24

क्र. सं.	औचित्य	विधिक सिद्धांत	मामले का नाम (Citation)	प्रासंगिक अनुच्छेद
10	शिकायत दर्ज कराने में देरी	“FIR दर्ज कराने में देरी, अभियोजन पक्ष के मामले को खारिज करने का आधार नहीं हो सकती।”	State of Himachal Pradesh v. Gian Chand (2001) 6 SCC 71	Para 12
			Ramdas v. State of Maharashtra (2007) 2 SCC 170	Para 24
		एफ़आईआर दर्ज कराने में देरी के कारण घटना की आपराधिक प्रकृति समाप्त नहीं हो जाती।	Bhagwan Singh v. Dilip Kumar, (2023) 13 SCC 549	Para 21
11	POCSO मामलों में FIR दर्ज कराने में देरी का प्रभाव		Gaya Prasad Pal v. State 235 (2016) DLT 264 Crl. A. 538/2016	Para 22, 23
		FIR एक पुष्टिकरण (Corroborative) साक्ष्य है, न कि मूल (Substantive) साक्ष्य। इसलिए, इसे दर्ज करने में हुई देरी अभियोजन पक्ष के मामले के विरुद्ध आधार नहीं बन सकती।	Hariprasad v. State of Chhattisgarh, (2024) 2 SCC 557	Para 18
12	CrPC के S.164 के तहत दर्ज बयान का साक्ष्यात्मक महत्व		Imran Shabbir Gauri v. State of Maharashtra 2021 SCC OnLine Bom 511	. Para 16, 17, 20, 21
			Vijaya Singh v. State of Uttarakhand, 2024 SCC OnLine SC 3510	Para 27-31
13	पीड़ित के मुकर जाने की स्थिति में दोषसिद्धि		Imran Shamim Khan v. State of Maharashtra (22 Jan 2019) Crl Appeal no. 936 of 2014 (BHC)	Para 8, 10, 12
			Neeraj Dutta v. State (NCT of Delhi), (2023) 4 SCC 731	Para 87, 88.6
14	त्वरित सुनवाई	समयबद्ध जाँच और त्वरित सुनवाई	Vinay v. The State of Karnataka 2017 SCC OnLine Kar 6713	Para 11-14
			Mohiddun v. State of Karnataka 2017 SCC OnLine Kar 5687	Para 10

क्र. सं.	औचित्य	विधिक सिद्धांत	मामले का नाम (Citation)	प्रासंगिक अनुच्छेद
			Narayana v. State of Karnataka Criminal Petition No. 9519/2017 (KHC)	Para 11, 12
		दो महीने के भीतर मुकदमे की कार्यवाही पूरी न होने मात्र से आरोपी ज़मानत का हकदार नहीं हो जाता।	Hanumantha Mogaveera v. State of Karnataka, Criminal Petition No.2951/2020 (KHC)	Para 22-27, 41-44, 49, 50, 56-61
15	निर्णय सुनाए जाने से पहले, मुकदमे की कार्यवाही के किसी भी चरण में आरोपों में बदलाव किया जा सकता है।		Ananda v. State of Karnataka 2022 SCC OnLine Kar 1377	Para 9, 10
			Ravi Dhingra v. State of Haryana, (2023) 6 SCC 76	Para 31
16	POCSO Act व्यक्तिगत कानूनों (personal laws) पर प्रभावी होगा		Aleem Pasha v. State and Anr. 2022 SCC OnLine Kar 1588	Para 5
			Hamid Raza vs. State NCT of Delhi Delhi HC BAIL APPLN. 2867/2025	Para 19
17	न्यूनतम निर्धारित सज़ा से कम सज़ा नहीं दी जा सकती		State of Karnataka v. Shaik Rouf Criminal Appeal No. 200060/2016 (KHC)	Para 15, 16
			State of U.P. v. Sonu Kushwaha, (2023) 7 SCC 475	Para 13-14

उपयोगी संसाधन

- Centre for Child and the Law, NLSIU, Bangalore 'Report on the S tudy on the working of Special Courts under the POCSO Act, 2012 in Delhi' (29 January 2016) <available at: http://enfoldindia.org/wp-content/uploads/2022/10/CCL-NLSIU-Delhi-Report.pdf>

- Vidhi Centre for Legal Policy, 'A Decade of POCSO: Developments, Challenges and Insights from Judicial Data'.

- Ministry of Women and Child Development, A Victim of Child Sexual Abuse can file a complaint at any time irrespective of his/her present age. https://archive.pib.gov.in/newsite/PrintRelease.aspx?relid=184227

- Central Forensic Science Laboratory, 'Forensic Medical Examination in Sexual Assault Cases'.

- Powers and Restrictions Under Section 309 and 311, Cr.P.C. https://districts.ecourts.gov.in/sites/default/files/document.pdf

- Legal Awareness Programme by National Legal Services Authority in collaboration with National Commission for Women, 'IEC & Training Module for Resource Persons' https://drive.google.com/file/d/1H4RMsBh2XGziiJSo4_SWWMjFd5-vgRHW/view (pg 360 onwards).

- HAQ Centre for Child Rights, 'Handbook for Public Prosecutors Issues under the POCSO Act: A Compilation of Legal Cases and Facts'. https://www.haqcrc.org/wp-content/uploads/2019/12/handbook-for-pps-on-csa-1.pdf

- Delhi Commission for Protection of Child Rights, 'Mapping of Needs and Priorities: A Study of Child Rape Victims in Delhi'. https://drive.google.com/file/d/19zI8LJ47-FFqRc2KGzwo-PKTCVrdURKR/view

iProbono India एक सामाजिक न्याय संगठन है, जो अपने चयनित पैनल और नेटवर्क वकीलों के समुदाय की कानूनी विशेषज्ञता, जमीनी स्तर पर काम करने वाले अपने सहयोगी संगठनों के अनुभवों और सामाजिक कार्रवाई के लिए रणनीतिक मुकदमेबाजी की भावना को एक साथ लाकर भारत में न्याय और समानता को आगे बढ़ाने का काम करता है।

पिछले दस वर्षों में iProbono India ने मुख्य रूप से बाल अधिकार, आवास अधिकार और नागरिक समाज को सशक्त बनाने के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। हमारे हस्तक्षेप के प्रमुख माध्यमों में कानूनी प्रतिनिधित्व, वकालत, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण शामिल हैं।

बाल अधिकार | दिव्यांगता न्याय | आपराधिक न्याय | आवास न्याय
दिल्ली | कर्नाटक | महाराष्ट्र | उत्तर प्रदेश

संपर्क करें

Email/
contact@i-probono.com

Website/
www.i-probono.in

/@iprobonoindia /@iProbonoIndia /@iProbono_India